सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवम् लेखा
वित्त भवन, जनपथ
जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2025–2026

दूरभाष : 2740239, 2744861 फैक्स नम्बर – 2742309
E-MAIL : dir-ta-rj@nic.in

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवम् लेखा
वित्त भवन, जनपथ
जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2025–2026

दूरभाष : 2740239, 2744861 फैक्स नम्बर – 2742309
E-MAIL : dir-ta-rj@nic.in

प्रस्तावना

निदेशालय कोष एवं लेखा वित्त विभाग के अधीन राज्य सरकार के वित्तीय लेखांकन तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के संस्थापन तथा नियंत्रण के लिये उत्तरदायी है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत विभाग द्वारा निम्न मुख्य कार्य संपादित किये जा रहे हैं :–

- राज्य के सभी कोषालयों/उपकोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण।
- बजट एवं कोष कार्यालयों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का संचालन।
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान कोषागार नियम में संशोधन हेतु राज्य सरकार को सुझाव/ प्रस्ताव देना।
- वित्त विभाग को मार्गोपाय स्थिति की नवीनतम जानकारी देने के लिए कोषालयों से प्राप्त विभिन्न विभागों के आय एवं व्यय के मासिक आंकड़े संकलित कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना।
- राज्य के कोषालयों द्वारा रक्षा पेंशन भुगतान से सम्बन्धित वाउचर रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद को प्रेषित कर उसके पुनर्भरण प्राप्त करने के कार्य में महालेखाकार, राजस्थान को सहयोग प्रदान करना।
- राजस्थान अग्रिम जोखिम निधि का लेखा कोषालयों के माध्यम से संधारण।
- राज्य कर्मचारियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों के खातों का कोषालयों के माध्यम से संधारण।
- राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम/द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग का संस्थापन एवं नियंत्रण।
- वित्त भवन का अनुरक्षण एवं रखरखाव।
- अल्प बचत एवं लॉटरी विभाग के बकाया कार्यों का निष्पादन।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा	1
2.	स्वीकृत पद	2
3.	बजट प्रावधान (2025–26)	3
4.	अधीनस्थ लेखा सेवा के पदों एवं पदोन्नतियों की स्थिति	4
5.	अनुभागवार कार्य एवं प्रगति	5-20
i	कोष एवं बजट	6-8
ii	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	9-15
iii	कार्मिक अनुभाग	16-17
iv	प्रशासन	18
v	जाँच एवं विधि	19
vi	अल्प बचत	20
6.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि	21
7.	सार–संक्षेप	22
8.	वित्त विभाग से संबंधित दूरभाष नम्बर	23
9.	निदेशालय कोष एवं लेखा से संबंधित दूरभाष नम्बर	24
10.	राज्य के कोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर	25-26
11.	राज्य के उपकोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर	27-34

1.विभाग का संगठनात्मक ढांचा

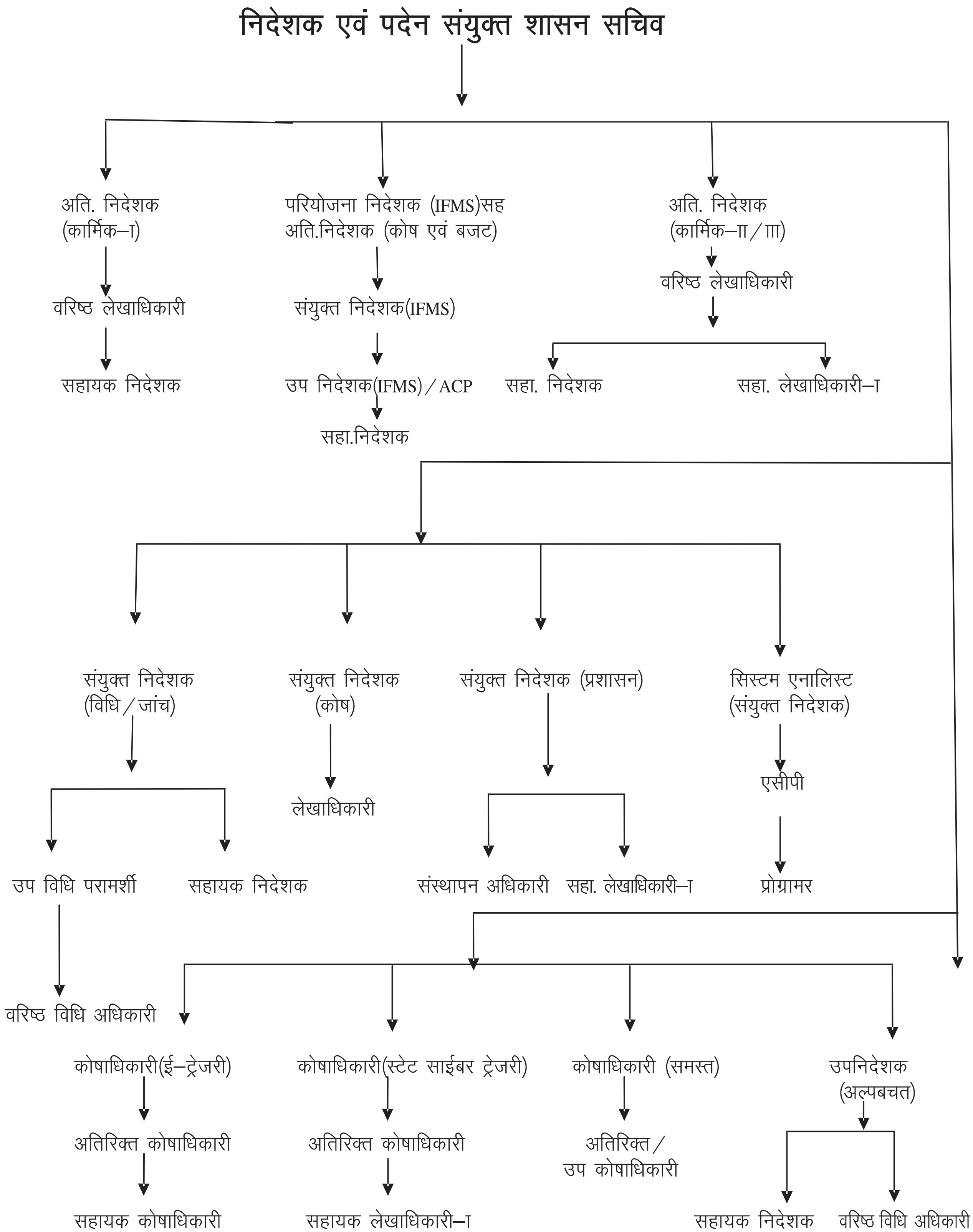

2.स्वीकृत पद

निदेशालय में स्वीकृत पद

क्र.सं.	पद का नाम	निदेशालय कोष एवं लेखा		
	(अ) राजपत्रित अधिकारी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव	1	1	0
2.	परियोजना निदेशक IFMS सह अतिरिक्त निदेशक कोष एवं बजट	1	1	0
3.	अतिरिक्त निदेशक	2	1	1
4.	संयुक्त निदेशक	4	3	1
5.	सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक)	1	1	0
6.	उप निदेशक	3	3	0
7.	उप निदेशक कम ए.सी.पी	1	1	0
8.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	2	2	0
9.	कोषाधिकारी (ई–कोषालय)	1	1	0
10.	कोषाधिकारी (साईबर ट्रेजरी)	1	0	1
11.	लेखाधिकारी	7	7	0
12.	सहायक निदेशक	7	4	3
13.	अतिरिक्त कोषाधिकारी	2	0	2
14.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	18	18	0
15.	सहायक कोषाधिकारी	3	1	2
16.	उप विधि परामर्शी	1	1	0
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	2	1	1
18.	प्रोग्रामर	6	6	0
19.	वरिष्ठ निजी सचिव	1	1	0
20.	निजी सचिव	1	1	0
21.	अतिरिक्त निजी सचिव	2	1	1
22.	संस्थापन अधिकारी	1	0	1
23.	प्रशासनिक अधिकारी	3	1	2
24.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	8	6	2
	योग (अ)	**79**	**62**	**17**
	(ब) अराजपत्रित अधिकारी			
1.	निजी सहायक ग्रेड–I	2	0	2
2.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	35	35	0
3.	निजी सहायक ग्रेड–II (आशुलिपिक)	4	3	1
4.	कनिष्ठ लेखाकार	46	30	16
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	15	14	1
6.	वरिष्ठ सहायक	26	24	2
7.	कनिष्ठ सहायक	42	35	7
8.	सहायक प्रोग्रामर	6	5	1
9.	सूचना सहायक	3	3	0
10.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1
11.	वाहन चालक	3	1	2
12.	मशीन मैन	1	0	1
13.	जमादार	2	1	1
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	34	7	27
	योग (ब)	**220**	**158**	**62**
	योग (अ+ब)	**299**	**220**	**79**

नोटः– 1. कनिष्ठ लेखाकारो के रिक्त पदों के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II अस्थाई रूप से कार्यरत हैं।

3.बजट प्रावधान (2025-26)

राज्य निधि (राशि लाख रूपयों में)

क्र. सं.	मद	वर्ष 2025-26 के लिये स्वीकृत मूल अनुदान	31 दिसम्बर, 2025 तक व्यय	विशेष विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2054-00-095-01-00 दत्तमत (निदेशालय)	3423.31	2601.92	
2	2054-00-095-01-00 प्रभृत (निदेशालय)	0.01	4.13	
3	2054-00-097-05-01 दत्तमत (कोष/उपकोष)	20005.50	15732.05	
4	4059-80-051-(42)-00-17	2281.00	40.97	
5	4059-80-796-(02)-(01) 4059-80-789-(07)-(01)-17	280.00 360.00	0.00 0.00	
6	2054-00-097-(01)-00-05	70.00	27.42	
7	2054-00-097-(03)-00-62	9384.00	3067.18	
8	2054-00-800-05-01 (CMSDC)	1902.13	8.11	
9	2054-00-190-01-01	287.77	100.00	
10	2054-00-800-06-01	1390.00	1028.00	
11	2054-00-800-07-01 (SHPP)	3250.00	0.90	
12	2054-00-097-06-01	0.01	298.98	उक्त बजट शीर्ष अनुपूरक अनुदान मांग (प्रथम) में खोला गया।
	योग	**42633.73**	**22909.66**	

4. अधीनस्थ लेखा सेवा के पदों एवं पदोन्नतियों की स्थिति

क्र. सं.		कार्य का नाम	वर्ष	गत तीन वर्षो का प्रगति विवरण		
			2025—26	2024—25	2023—24	2022—23
1.		अधीनस्थ लेखा सेवा के स्वीकृत पद				
	(1)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I	2639	2642	2573	2449
	(2)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II	3912	3616	3815	3754
	(3)	कनिष्ठ लेखाकार	6025	5786	5722	5547
2.		अधीनस्थ लेखा सेवा में नवीन नियमित नियुक्तियाँ				
	(1)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II	—	—	—	—
	(2)	कनिष्ठ लेखाकार	5087	01	—	—
3.		अधीनस्थ लेखा सेवा में/से पदोन्नतियाँ				
	(1)	लेखाधिकारी	93	126	194	128
	(2)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I	1101	08	199	425
	(3)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II	—	—	04	3300

5. अनुभागवार कार्य एवं प्रगति

(i) कोष एवं बजट अनुभाग

कोष एवं बजट अनुभाग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट) प्रभारी अधिकारी है।

1. बजट एवं कोष की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन, नियम/निर्देशों को जारी किए जाने एवं पर्यवेक्षण किया जाता है।
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 से रक्षा पेंशनर्स के भुगतान संबंधित कोई वाउचर विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।
3. चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे पेंशन भुगतान संबंधित कोई वाउचर प्राप्त नहीं हुआ है।
4. दीर्घकालीन ऋण–राज्य कर्मचारियों को दीर्घकालीन ऋणों के अदेय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दीर्घ कालीन ऋणों के संधारण का कार्य दिनांक 01.07.1988 से महालेखाकार, राजस्थान से अपने अधीन लिया जाकर कोष कार्यालयों के माध्यम से संपादित किया जाना प्रारम्भ किया गया। इसके साथ–साथ महालेखाकार से निम्नलिखित अवधि का बकाया कार्य भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया :–

   i. भवन अग्रिम के दिनांक 01.04.1987 से 30.06.1988 तक का लेखों के संधारण।

   ii. वाहन अग्रिम के दिनांक 01.04.1986 से 30.06.1988 तक के लेखों का संधारण।

   दिनांक 01.07.1988 से दीर्घकालीन ऋणों के लेखों के संधारण का कार्य कोषालयों द्वारा किया जा रहा है एवं अदेयता प्रमाणपत्र देने से संबंधित कार्यवाही भी कोषालय स्तर पर ही की जाती है। निदेशालय द्वारा दिनांक 01.07.1988 से पूर्व के अपूर्ण खातों को संशोधित कर संबंधित कोषालय को भेजना, कोषालयों में अप्राप्त खातों की सत्य प्रति जारी करना एवं कोषालयों को मार्ग दर्शन देने का कार्य सम्पादित किया जाता है।

   दिनांक 31.03.2004 तक स्वीकृत भवनअग्रिम की कटौतियाँ वेतन माह मई, 2004 से एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) सचिवालय ब्रांच, जयपुर को कोषाधिकारियों द्वारा डी. डी./चैक से भेजी जा रही थी। माह सितम्बर 2017 से पे–मैनेजर के माध्यम से ई–भुगतान से बैंक को उक्त राशि प्रेषण की जा रही है। इसमें अधिकांश खातों का अदेयताप्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है।
5. राजस्थान अग्रिम जोखिम निधि – दिनांक 01.04.1990 से राजस्थान अग्रिम जोखिम निधि का कार्य निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से लिया जाकर कोषालयों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। कोषालयों से प्राप्त अग्रिम जोखिम निधि की सूचना के आधार पर महा लेखाकार राजस्थान, जयपुर की ब्रॉडशीट के आंकड़ों से मिलान करना, बजट, मार्गदर्शन एवं नियन्त्रण निदेशालय द्वारा किया जाता है।
6. लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2012 – कोष/उपकोष कार्यालयों से भुगतान की जाने वाली सिविल पेंशन को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लिया गया है। लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त निदेशक (विधि) को नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा क्रियान्विति सुनिश्चित की जा रही है।

कोषालयों / उपकोषालयों के मुख्य कार्यः—

कोषालयों का प्रमुख कार्य राज्य सरकार के आय—व्यय के प्रारम्भिक लेखों का संकलन एवं संधारण करना है, जिनके आधार पर राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच समायोजन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा अनुभाग, जयपुर द्वारा किया जाता है। यह कार्य 01.10.1987 से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर द्वारा किया जाता था। कोषाधिकारियों द्वारा मासिक लेखे महालेखाकार, राजस्थान को प्रस्तुत किये जाते हैं। वर्ष 2025-26 (दिसम्बर 2025 तक) के दौरान समस्त कोषाधिकारियों द्वारा मासिक लेखे समय पर महालेखाकार को प्रस्तुत किये गये हैं। कोष प्रणाली का समस्त कार्य एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर ही सम्पादित किया जा रहा है तथा मासिक लेखे एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन ही प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

1. राजस्थान में 49 कोष कार्यालय तथा 238 उपकोष व 9 पेंशन उपकोष कार्यालय कार्यरत है।
2. समस्त कोषालयों, उपकोषालयों एवं नई दिल्ली स्थित भुगतान एवं लेखाधिकारी द्वारा उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन बिलों और अन्य प्रकार के बिलों को पारित कर इलेक्ट्रोनिक पद्धति से भुगतान किया जाता है। कोषाधिकारियों एवं उप कोषाधिकारियों से राजस्थान कोषागार नियमावली, वित्तीय नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन बनाए रखना भी अपेक्षित है। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषालयों / उपकोषालयों को ऑनलाईन बिल मय दस्तावेज प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
3. सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा ज्यूडिशियल एवं नॉन—ज्यूडिशियल, शेयर हस्तान्तरण, नोटेरी, राजस्व आदि सभी प्रकार के स्टाम्पों की बिक्री, स्टाम्प वेण्डरों के माध्यम से एवं सीधी भी क्रेता को की जाती है। विभिन्न अनुबन्ध एवं दस्तावेज पर लगने वाले स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प कोषालय / उप कोषालय द्वारा बिक्री किये जाते हैं। इस हेतु आईएफएमएस के अन्तर्गत स्टाम्प मॉड्यूल भी विकसित किया गया है।
4. राजकीय उपक्रम, बोर्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगर पालिका, कृषि उपज मण्डी समिति एवं अन्य स्वायत्त शाषी संस्थाओं तथा निजी शिक्षण संस्थाओं के निजी निक्षेप खातों का संधारण भी कोषालयों / उपकोषालयों द्वारा किया जाता है।राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान / ऋण एवं अन्य प्रकार की राशि प्रथमतः इन निजी निक्षेप खातों में जमा की जाती है।इन खातों से राशि का आहरण दिनांक 01.09.2017 से ई—भुगतान प्रणाली द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। निजी निक्षेप खातें खोलने व राशि हस्तान्तरण का कार्य भी ऑन लाईन ही किया जा रहा है।
5. कोषालयों द्वारा राज्य सरकार के आय एवं व्यय के आंकड़ों का संकलन कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक लेखों की प्रथम सूची तथा अगले माह की 5 तारीख तक द्वितीय सूची महालेखाकार कार्यालय तथा निदेशालय कोष एवं लेखा को सिस्टम पर ऑन लाईन भेजी जाती है। दैनिक लेखा प्रेषण की कार्यवाही भी सिस्टम पर कोष कार्यालयों द्वारा की जा रही है।
6. राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं वाहन क्रय हेतु उपलब्ध कराये गये ऋण के लेखों के संधारण का कार्य कोषालयों द्वारा किया जाता है एवं इस संबंध में अदेयता प्रमाण—पत्र भी संबंधित कोषालय द्वारा जारी किये जाते हैं।
7. रक्षा पेंशनर्स, रेलवे पेंशनर्स, राज्य तथा केन्द्र के स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व विधायक गण एवं अन्य राज्यों के पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान संबंधित कोषालयों द्वारा किया जा रहा है।
8. राज्य पेंशनर्स को भुगतान आईएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है।
9. रक्षा पेंशनर्स के पेंशन भुगतान वाउचर कोषाधिकारियों द्वारा तथा महालेखाकार राजस्थान द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से PCDA इलाहाबाद को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिसका पुनर्भरण UTR के तहत Online महालेखाकार, जयपुर को प्राप्त हो रहा है।

10. जयपुर में ई–कोषालय द्वारा ई–ग्रास के माध्यम से सभी राजस्व मदों में इलेक्ट्रॉनिक प्राप्तियों का संधारण एवं लेखांकन किया जा रहा है। ई–ग्रास के अंतर्गत वर्तमान में कर दाताओं/जमाकर्ताओं को 10 एजेन्सी बैंको यथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया एवं Axis बैंक के माध्यम से राशि जमा कराने का विकल्प उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ई–ग्रास के तहत राजस्व जमा कर्ताओं को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पेमेन्ट गेटवे एस बी आई ई–पे तथा पंजाब नेशनल बैंक के पी.एन.बी. गेटवे के माध्यम से राशि जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अंतर्गत जमाकर्ताओं को ई–ग्रास पर सीधे भुगतान हेतु अधिकृत 10 बैंकों के अतिरिक्त अन्य 47 बैंकों के माध्यम से भी ऑनलाइन (Net Banking/Debit/CreditCard/Maestro/Master/Visa/Rupay/Amex Card) राजस्व जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मैन्युअल भुगतान से जमा राजस्व (पीडी खातो व माइनस व्यय को छोड़कर) का भी संधारण ई–मोड पर ई–कोष द्वारा किया जा रहा है। ई–कोषालय को भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अंतर्गत जी एस टी लेखांकन प्रक्रिया से भी संबद्ध कर एस जी एस टी मासिक लेखों को महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्व संग्रहण हेतु पी एन बी पेमेन्ट गेट वे भी संयोजित कर दिया गया है, जिससे 47 बैंक संबद्ध हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को IFMS 3.0 के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन कर राजस्व प्रबंधन भी एक ही स्थान पर सुगमता से उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध होगी। ई–कोषालय द्वारा राज्य सरकार के ई–राजस्व के साथ–साथ मैन्यूअल राजस्व जमा (पी.डी. खातों व माईनस व्यय को छोड़कर) के लेखों का संकलन कर महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है। RBI द्वारा NEFT/RTGS से राजस्व संग्रहण की सुविधा IFMS से सम्बद्ध की गई है, जिसमें राजस्व संव्यवहार के पूर्ण होने के साथ ही Real Time पर राज्य सरकार के खाते में जमा हो रहा है।
11. वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय अधिकारियों के द्वारा 06 कोषालयों एवं 11 उपकोषालयों के प्रशासनिक निरीक्षण दिनांक 31.12.2025 तक सम्पादित किये गये हैं।
12. कोष एवं उप कोष कार्यालयों के सृजन एवं भवन निर्माण की स्थितिः–

क्र.सं.	कार्य का नाम		वर्ष	गत तीन वर्षों का प्रगति विवरण		
			2025-26	2024-25	2023-24	2022-23
1	कोषालयों/उप कोषालयों के संबंध में					
	1	नवीन कोषालयों का सृजन	0	0	15	0
	2	नवीन उपकोषालयों का सृजन	0	0	0	0
	3	नवीन भवन निर्माण	0	0	0	0

13. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा लागू किऐ गये SNA-SPARSH (समायोजित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण) के अंतर्गत साइबर ट्रेजरी की स्थापना की गई है। इस कोषालय द्वारा वर्तमान में 70 CSS से सम्बद्ध लगभग 153 राज्य के लिंक्ड केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के संव्यवहार सम्पादित किये जाते हैं, जिनमें से 70 SLS में संव्यवहार शुरू हो गये हैं। इसमें IFMS, PFMS, RBI, NPCI को सम्बद्ध किया गया है तथा 5 CSS में आधार आधारित भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

(ii)एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली
(Integrated Financial Management System)

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली द्वारा सम्पादित किये जाने कार्यों के लिये निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट) एवं पदेन परियोजना निदेशक (IFMS) प्रभारी अधिकारी है। एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के बजट व लेखांकन को ऑटोमेशन किया जा चुका है तथा वर्तमान में IFMS 3.0 के अन्तर्गत नवीन तकनीक में सभी प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैः–

प्रथम चरण के अन्तर्गत–

वर्ष 2010–11 में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के प्रथम चरण के तहत निम्न प्रक्रियाएं विकसित की गई हैः–

1. उक्त परियोजना में कोषालय/उपकोषालय/डीडीओ ऑन लाइन सम्पर्क में है तथा राज्य के भुगतान व प्राप्तियां रियल टाईम बेसिस पर निदेशालय सम्बद्ध विभागों/कार्यालयों तथा वित्त विभाग में देखी जा सकती है कोषालयों द्वारा ऑनलाईन बजट नियंत्रण किया जा रहा है।
2. वित्त विभाग के मुख्य कार्यकलाप बजट लेखांकन, आय एवं व्यय का सम्पादन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है।
3. उक्त प्रणाली के तहत कोष से संबंधित समस्त कार्य सभी कोषालयों/उप कोषालयों द्वारा सम्पादित किए जा रहे है। कोषालयों द्वारा ऑनलाइन प्रणाली मे उपलब्ध बजट सीमा तक ही बिल पारित किये जा रहे है।
4. वर्ष 2011-12 में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत बजट मुद्रण, बी.एफ.सी. बैठको हेतु ऑनलाइन विभागीय प्रस्ताव, ऑनलाइन बजट आवटन, ऑनलाइन कोष कार्य, बैंकों/महालेखाकार को इन्टरफेस ऑनलाइन संवेतन बिल इत्यादि कार्य किये गये।
5. ऑनलाईन वेतन बिल प्रणाली दिनांक 01.04.2012 से समस्त कोषालयों में लागू की जा चुकी है जिसने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा ऑन लाईन वेतन बिल प्रेषित किये जा रहे है व कोषालयो द्वारा उन बिलों को ऑन लाईन पारित कर इलेक्ट्रोनिक पद्धति से वेतन तथा अन्य दावों का भुगतान किया जा रहा है।
6. दिनांक 16.08.2012 से समस्त राजकीय दावों का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।
7. दिनांक 01.12.2012 से ई–कोषालय स्थापित किया गया है जिसमें समस्त ऑन लाइन राजस्व प्राप्तियों का संकलन किया जा रहा है।
8. वर्ष 2012-13 में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत निम्न सुविधाएं विकसित की गईः–
   - I. ऑन लाइन भुगतान प्रणाली।
   - II. आधार आधारित भुगतान प्रणाली।
   - III. ऑन लाइन बिल प्रस्तुतीकरण।
   - IV. बैंको से सीधे भुगतान स्टेट्स प्राप्त करने की प्रक्रिया।
   - V. ऑन लाइन स्क्रॉल।
   - VI. ई–भुगतान के माध्यम से राजस्व प्राप्ति हेतु ई–ग्रास का प्रारम्भ।
   - VII. ई–कोषालय की स्थापना।
   - VIII. इन्टरनेट बैंकिग से राजस्व जमा कराने की सुविधा।
   - IX. पी.डी. खातों के संधारण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था इत्यादि कार्य किये गये।

द्वितीय चरण के अन्तर्गत–

9. वर्ष 2013-14 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैः–
   I. ई–ग्रास से वाणिज्यिक कर विभाग के पोर्टल का इन्टीग्रेशन।
   II. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऑनलाइन मॉड्यूल का विस्तार।
   III. सिविल पेंशन हेतु ऑनलाइन पीपीओ/जीपीओ सीपीओ जनरेशन करने की सुविधा।
   IV. बैंको द्वारा किए जा रहे मासिक पेंशन भुगतान की कोषालयों के स्तर पर जांच हेतु ऑनलाइन पेंशन चैक रजिस्टर।
   V. स्टैम्प्स के संधारण हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल।
   VI. ई–ग्रास के अन्तर्गत मैनुअल जमा चालानों हेतु चालान जनरेट करने की सुविधा।
   VII. दिनांक 01.08.2014 से समस्त मैन्युअल चालान ई–ग्रास साईट से ही जनरेट किये जा रहे हैं।
10. वर्ष 2014-15 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैः–
   I. मैन्युअल जमा राजस्व के चालानों का ई–ग्रास से जनरेट कर जमा कराया जाना अनिवार्य किया गया।
   II. आबकारी विभाग, ई–मित्र, खान एवं भूगर्भ विभाग, परिवहन विभाग का इन्टीग्रेशन।
   III. ई.सी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी के भुगतानों हेतु सिंगल फाइल जनरेट करने की सुविधा दी गई।
   IV. कर्मचारियों के आवास एवं वाहन ऋण हेतु एलटीए मॉड्यूल प्रारम्म किया गया।
   V. पेंशन के प्रथम भुगतान भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किए जाने प्रारम्भ किए गए ।
   VI. ऑनलाइन बिल प्रणाली में बिलों की संबंधित ऑब्जेक्ट हैड से मैपिंग की गई जिससे संबंधित मद में ही बिल बनाया जा सके।
   VII. समस्त कोषालयों द्वारा बैंकों द्वारा किए गए सिविल पेंशन के भुगतानों की ऑनलाईन पेंशन चैक रजिस्टर से जांच कर स्वीकार किया जा रहा है।
   VIII. इस प्रणाली के अन्तर्गत एजेन्सी बैंकों व महालेखाकार कार्यालय को भी इन्टरफेस दिया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत एजेन्सी बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व राजस्व प्राप्ति तथा स्क्रॉल उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं। महालेखाकार कार्यालय द्वारा भी इस प्रणाली के माध्यम से तैयार किए गए कोषालयों के लेखों के अनुसार ही इलेक्ट्रोनिक डेटा प्राप्त कर लेखों का संधारण किया जा रहा है।
11. वर्ष 2015-16 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैः–
   I. निर्माण विभागों के लेन–देनों को कोषालयों के माध्यम से किए जाने हेतु वित्त (जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र दिनांक 14.09.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार प्रक्रिया पायलट आधार पर 5 डिविजनों में दिनांक 01.10.2015 से लागू की गई है।

निर्माण खण्डों के संव्यवहार कोषालय से किए जाने का कार्य सम्पूर्ण रूप से 01.04.2016 से समस्त खण्डों में लागू किया जा चुका है।

II. दिनांक 02.11.2015 से राज्य के राजस्व डेबिट/क्रेडिट कार्ड से जमा करवाने की सुविधा ई–ग्रास पर उपलब्ध करवाई गई।

III. प्रधान महालेखाकार कार्यालय को 5 कोषालयों का ई–लेखा (भौतिक वाउचर एवं चालानों के साथ) प्रस्तुत किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है।

12. वर्ष 2016-17 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैः–

I. पंचायतीराज कार्मिकों का वेतन भुगतान कोषालयों के माध्यम से किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

II. ऑनलाईन अंक मिलान प्रक्रिया तीन बजट नियंत्रण अधिकारियों के साथ दिनांक 01.04.2016 से वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र दिनाक 24.02.2016 के क्रम में पायलट बेसिस पर प्रारम्भ की गई।

III. पी.डी. खातों में इलेक्ट्रोनिक भुगतान की प्रक्रिया भी 4 पी.डी. खातों में दिनांक 01.11.2016 से पायलट बेसिस पर वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनाक 30.09.2016 के क्रम में प्रारम्भ की गई।

IV. ई–भुगतान के संबंध में मोबाईल एप एवं एस.एम.एस. की सुविधा भी प्रारम्भ की गई।

V. ई–ग्रास पर ई–भुगतानों के संबंध में भी मोबाईल एप से संव्यवहार देखने की सुविधा विकसित कर ली गई।

13. वर्ष 2017-18 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैः–

I. राज्य कार्मिकों के ऑनलाईन यात्रा बिल प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2017 से प्रारम्भ की गई।

II. राज्य कार्मिकों के ऑन लाईन चिकित्सा बिल प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया दो विभागों निदेशालय, कोष एवं लेखा मय कोषालयों/उप कोषालयों तथा निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पायलट के आधार पर दिनांक 15.09.2017 से प्रारम्भ की गई।

III. ई–ग्रास पर मोबाईल एप की सुविधा दिनांक 02.10.2017 से प्रारम्भ की गई।

IV. पी.डी. खातों मे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया सभी संस्थाओं/निगमों में दिनांक 01.09.2017 से प्रारम्भ की गई।

V. IFMS के तहत भामाशाह पोर्टल के माध्यम से इंटीग्रेशन कर भुगतान किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

VI. पी.डी. खातों में Sub-User बनाकर भुगतान किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई है।

VII. सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं एरियर भुगतान की सुविधा पे–मैनेजर पर उपलब्ध करवाई गई।

VIII. GST के लेखांकन की नवीन प्रक्रिया भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तैयार करवाकर ई–कोषालय से संबद्ध की गई।

IX. सभी उप कोषाधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी।

X. राजस्व प्राप्तियों से संबंधित मैन्युअल भुगतानों को ई–मोड़ पर स्थानान्तरित कर ई–कोष से संबद्ध किया गया जिसमें राजस्व जमाकर्ताओं को एजेन्सी बैंको की किसी भी शाखा में चालान के माध्यम से मैन्यूअल भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गयी।

XI. एस.बी.आई व एस.बी.बी.जे. बैंको को समामेलन के कारण IFMS में संबद्ध प्रक्रियाओं को पूर्णतया परिवर्तित किया गया।

XII. पी.डी. खातों के ऑनलाईन खोलने की प्रक्रिया कोषालयों से संबद्ध की गयी।

14. सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं एरियर भुगतान की सुविधा पे–मैनेजर पर उपलब्ध करवाई गई है।

15. सभी उप कोषाधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों से इलेक्ट्रोनिक भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

16. दिनांक 01.08.2018 से राज्य कार्मिकों के चिकित्सा बिल ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई।

17. वर्ष 2018-19 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई है–

I. दिनांक 01.10.2018 से GST TDS की कटौती किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई है।

II. पे–मैनेजर व ई–ग्रास पर सुरक्षात्मक उपाय संयोजित किये गए।

III. पी.एन.बी. पेमेन्ट गेटवे हेतु आवश्यक इंन्टीग्रेशन ई–ग्रास से किया गया।

IV. निर्माण कार्यों हेतु बी एस आर मॉड्यूल विकसित किया गया।

18. वर्ष 2019-20 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रारम्भ की गई हैं–

I. दिनांक 01.04.2019 से सभी कोषालयों / उप कोषालयों का ई–भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के ई–कुबेर पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ किया गया।

II. निर्माण विभागों हेतु ऑनलाईन बीएसआर तैयार करने एवं ऑनलाईन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2019 से पायलट आधार पर 5 डिविजनों के साथ प्रारम्भ की गई है।

III. राजकीय संव्यवहारों / भुगतानों हेतु विभागों / आहरण वितरण अधिकारियों / पीडी खाता धारकों / खण्डीय खाता धारकों के लिए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.09.2019 के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर कार्मिकों के मास्टर डेटा को विभागाध्यक्ष स्तर पर अधिकृत करने स्वीकृत पदों के कार्यालय वार वितरण, पेंशन अधिकृति के आधार पर लीव एन्केशमेंट का मॉड्यूल भी सम्बद्ध किया गया।

IV. ई–ग्रास पर भीम / यूपीआई को सम्बद्ध किया गया।

v. विधानसभा व लोकसभा चुनावों के दौरान कार्मिकों को देय भत्तों इत्यादि का भुगतान आईएफएमएस से सम्बद्ध कर ऑनलाईन किया गया।
vi. राजकोष पर कन्टीन्जेंसी मॉड्यूल को सम्बद्ध किया गया।

20. वर्ष 2020-21 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत निम्न सुविधाएं विकसित की गई–
   I. माह मार्च 2020 के मासिक लेखा की द्वितीय सूची से महालेखाकार कार्यालय को ऑनलाइन लेखा (ई–लेखा) दिनांक 01.04.2020 से ऑनलाईन प्रेषित किया जा रहा है।
   II. वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से महालेखाकार कार्यालय से अंक मिलान का कार्य ऑनलाइन प्रारम्भ किया गया है।
   III. वित्त (जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र दिनांक 28.09.2020 के द्वारा निर्माण विभागों हेतु ऑनलाइन तकनीकी स्वीकृति कार्यादेश, जी–शिड्यूल व मेजरमेंट बुक तैयार करने संबंधी प्रक्रिया दिनाक 02.11.2020 से पायलट आधार पर प्रारम्भ की गई जिसे माह जनवरी, 2021 से समस्त निर्माण विभागों/वन विभागों में प्रारम्भ कर दिया गया है।

21. वर्ष 2021-22 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत निम्न सुविधाएं विकसित की गई–
   I. निर्माण विभागों के कार्यों के समुचित पर्यवेक्षण हेतु तथा संवेदकों के भुगतानों में अधिक पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, बी.एस.आर, जी–शिड्यूल व मेजरमेंट बुक से संबंधित समस्त प्रक्रियाएँ विकसित की गई, जिसे वित्त (जी.एण्ड टी.) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.01.2021, 15.03.2021 के द्वारा समस्त निर्माण विभागों/वन विभाग के समस्त निर्माण/वन खण्डों में दिनांक 01.04.2021 से लागू किया गया है।
   II. वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 17.06.2021 के द्वारा कार्मिकों के वेतन बिलों की ऑटोमेशन की प्रक्रिया माह जुलाई, 2021 के वेतन बिलों के साथ प्रारम्भ की गई हैं।
   III. वित्त (जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र दिनांक 12.08.2021 के द्वारा टेलीफोन एवं पत्र–पत्रिकाओं के व्यय पुनर्भरण की ऑटोमेशन प्रक्रिया माह सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ की गई हैं।
   IV. एनपीएस कटौतियों के बिलों एवं सीआरए को राशि हस्तातरण किये जाने की प्रक्रिया का ऑटोमेशन माह दिसम्बर, 2021 से प्रारम्भ किया गया है। जिसके अंतर्गत संबंधित कार्मिकों की कटौतियां व नियोक्ता अंशदान को बिना किसी विलम्ब के वेतन भुगतान के साथ–साथ ही एनएसडीएल को हस्तांतरित किया जा रहा है।
   V. योजना संचालन के लिए एकल नोडल बैंक खाता एवं एकल नोडल पीडी खाते के माध्यम से संव्यवहार करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अंतर्गत केन्द्रीकृत रूप से योजना संचालन का पर्यवेक्षण संभव होगा तथा सभी परिलाभ हस्तांतरण भी ई–भुगतान के माध्यम से ही होगें।

22. वर्ष 2022-23 में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के तहत् निम्नांकित सुविधाएं विकसित की गई–
   I. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 21.03.2022 के अनुसार दिनांक 01.04.2022 में बिल रेफरेन्स नम्बर को ही बिल नम्बर माना जा रहा है।

II. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.04.2022 के अनुसार दिनांक 01.05.2022 से यूनिफाईड निजी निक्षेप खाता पद्धति प्रारम्भ की गई है।
III. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 13.04.2022 के द्वारा ऑनलाईन जमा हुए राजस्व चालानों को विभाग द्वारा डिफेस किए जाने के पश्चात् रिफण्ड किए जाने के संबंध में दिशा—निर्देश जारी किए गये है।
IV. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 09.06.2022 के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से संबंधित दावों यथा राज्य बीमा/जीपीएफ ऋण/आहरण/स्वत्व आदि जो एसआईपीएफ विभाग के पोर्टल से जारी होते हैं, का भुगतान संबंधित कोषालय के स्थान पर केन्द्रीयकृत रूप से कोषालय, जयपुर (शहर) से प्रारम्भ किया गया है।
V. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.06.2022 के द्वारा राजकीय कार्यालयों के विद्युत व्यय बिलों का ऑटोमेशन दिनांक 15.06.2022 से प्रारम्भ किया गया है।

<u>तृतीय चरण के अन्तर्गत—</u>

23. IFMS 3.0 के तहत नवीन तकनीक Oracle Helidon के साथ सभी एप्लीकेशन विकसित की जा रही है तथा वर्ष 2023—24 में निम्न प्रक्रियाएं एस.एस.ओ. से सम्बद्ध कर विकसित कर लागू की गई हैः—

I. Work Flow प्रबंधन व User Managment लागू किया गया हैं।
II. राज्य कार्मिकों को दिनांक 01.06.2023 से Earned Salary Advance Drawal की सुविधा IFMS 3.0 के तहत उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
III. राज्य कार्मिकों को सेवानिवृति के दिन ही समस्त पेंशन स्वीकृतियां जारी करवाने की सुविधा IFMS 3.0 के तहत दिनांक 01.06.2023 से प्रारम्भ की गई हैं।
IV. IFMS 3.0 के तहत कार्मिकों से संबंधित प्रक्रियाएं एवं वेतन अन्य बिल संवेतन एरियर, डीए एरियर, सरेण्डर एरियर, बोनस, दोहरा भत्ता, Partial Pay इत्यादि तैयार करने की सुविधा भी शीघ्र उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
V. राज्य कार्मिकों का रजिस्ट्रेशन व आईडी जनरेट की जा रही हैं। कार्मिकों के Joining/Relieving व अन्य स्वीकृतियों को भी संबद्ध किया गया हैं। मासिक पेंशन भुगतान, जीपीओ/सीपीओ भुगतान फैमिली पेंशन, लाईफ सर्टिफिकेट, वी.आर.एस., सी.आर.एस. इत्यादि भी IFMS 3.0 पर संपादित किये जा रहे हैं।
VI. SNA-SPARSH: भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं हेतु लागू SNA SPARSH को राजस्थान में IFMS 3.0 से संबद्ध कर देश में सर्वप्रथम चालू किया गया तथा वर्तमान में 70 CSS की 153 SLS इसके अंतर्गत संचालित की जा रही हैं।
VII. केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के भुगतान हेतु नवीन कोषालय State Cyber Treasury for Schemes का भी गठन किया गया हैं। IFMS का इंटीग्रेशन NPCI, PFMS, RBI से किया गया हैं। भारत सरकार के मंत्रालयों के सॉफ्टवेयर OMAS व NAREGA से भी इंटीग्रेशन किया गया हैं ।
VIII. बजट मॉड्यूल के अन्तर्गत बीएफसी व बजट वॉल्यूम से संबंधित कार्य IFMS से जोड़ा गया।
IX. कोष प्रणाली, ई—कुबेर भुगतान मासिक लेखा प्रेषण (Cyber Treasury) से प्रारम्भ किया गया।
X. A&F TS, BSR Work के अंतर्गत विकसित की गई।

XI. वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट SPFM के अंतर्गत विकसित IMS व ICDMS मॉड्यूल को IFMS 3.0 के अंतर्गत संबद्ध कर Pilot आधार पर लागू किया गया हैं।

XII. ITMS के अंतर्गत कार्मिकों के संवेतन व संवेदकों के भुगतानों में इनकम टेक्स के प्रोजेक्शन प्रारम्भ किये गये हैं।

XIII. पेंशनर्स को पेंशन एडवांस दिये जाने की सुविधा दिनांक 01.10.2024 से लागू की गई हैं।

XIV. NPCI, RBI, IFMS व PFMS को संबद्ध कर ABPS भुगतान राजस्थान द्वारा भारत में प्रथमतया अक्टूबर 2024 में लागू किया गया।

24. वित्तीय वर्ष 2024–25 में IFMS 3.0 के तहत निम्न प्रक्रियाओं को विकसित कर प्रारम्भ किया गया :–

I. राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बजट, संव्यवहार एवं लेखांकन प्रक्रियाओं को IFMS 3.0 में नवीन तकनीक पर पारदर्शिता, सुगमता व नियन्त्रणों के साथ Single Sign Login से उपलब्ध करवाये जाने की प्रणाली प्रारम्भ की गई है।

II. उक्त प्रणाली के अन्तर्गत राज्य कार्मिकों एवं पेंशनर्स को भुगतानों की सूचना मोबाईल एप से भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

III. निर्माण कार्यों हेतु जारी की जाने वाली ऑनलाईन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया IFMS 3.0 के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2024 से प्रारम्भ की गई है।

IV. निर्माण विभागों के स्तर पर तैयार की जाने वाली ऑनलाईन BSR तैयार कर सभी विभागों को कार्य हेतु उपलब्ध कराने के लिये ऑनलाईन BSR प्रक्रिया दिनांक 01.10.2024 से प्रारम्भ कर दी गई है।

25. आलोच्य वर्ष 2025–26 में IFMS 3.0 के तहत निम्न प्रक्रिया विकसित कर प्रारम्भ की गई–

I. पंचायतीराज संस्थाओं एवं निजी निक्षेप खातों से सम्बद्ध संस्थाओं के कार्मिकों के मास्टर डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन संवेतन बिल जनरेट, कोष प्रणाली एवं ई–भुगतान एवं डीडीओ मैपिंग संबंधी कार्य।

II. निर्माण कार्यों से संबंधित IFMS में विकसित तकनीकी स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया 15.01.2025, BOQ (Bill of Quantity) तैयार करने की प्रक्रिया 31.01.2025 एवं कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया 10.02.2025 से प्रारम्भ की गई।

III. निर्माण कार्यों से संबंधित Online MB (Measurement Book) तैयार करने की प्रक्रिया IFMS 3.0 पर दिनांक 22.07.2025 से प्रारम्भ की गई।

IV. निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण विधानसभा/संसदीय क्षेत्रवार किए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए IFMS 3.0 पर निर्माण कार्यों से संबंधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु दिनांक 03.11.2025 से MLA Constituency एवं MP Constitutency का इंद्राज सिस्टम पर किया जाना अनिवार्य किया गया।

(iii) कार्मिक अनुभाग

अधीनस्थ लेखा संवर्ग के नियुक्ति अधिकारी निदेशक, कोष एवं लेखा हैं। अधीनस्थ लेखा सेवा अनुभाग प्रथम जिसके प्रभारी अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–प्रथम) हैं, द्वारा राजस्थान अधीनस्थ सेवा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I का संस्थापन संबंधी कार्य किया जाता है। अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग अनुभाग द्वितीय एवं तृतीय, जिसके प्रभारी संयुक्त निदेशक (कार्मिक–द्वितीय एवं तृतीय) हैं, द्वारा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II तथा खण्डीय लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकारो के संस्थापन का कार्य किया जाता है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के लेखाकर्मियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के संधारण का कार्य गोपनीय अनुभाग द्वारा किया जाता है, जिसके प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–प्रथम) है। कार्मिक अनुभाग द्वारा निम्न लिखित कार्य किए जाते हैं :–

1. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग का प्रशासनिक नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी कार्य।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा चयनित कनिष्ठ लेखाकारों की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं पदस्थापन सम्बन्धी कार्य।
3. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के लेखाकर्मियों का विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/II एवं कनिष्ठ लेखाकारों के स्वीकृत पदों पर पदस्थापन।
4. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की वरिष्ठता सूची जारी करना।
5. कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II तथा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I से लेखाधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करना ।

- लेखाधिकारी पद की पदोन्नति पर माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण में स्थगन होने के कारण सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I से लेखाधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी–II से सहायक लेखाधिकारी–I की पूर्व में लंबित वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हाल ही में आयोजित हुई है तथा कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी–II की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

6. कार्मिक अनुभाग की गोपनीय शाखा द्वारा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II एवं कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन सम्बन्धी पत्रावलियों का संधारण, डी.पी.सी., चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृति हेतु एपीएआर सम्बन्धी आकलन प्रपत्र तैयार करना एवं सहायक लेखाधिकारियों की स्थाई सम्पत्ति सम्बन्धी सूचना एकत्र कर तथा अधीनस्थ लेखा

संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/II व कनिष्ठ लेखाकार के प्राप्त तथा अप्राप्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवदेनों की सूची वेबसाईट पर अपलोड कराने का कार्य सम्पादित किया जाता है।

7. वर्ष 2025 में कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत शहीद आश्रित कोटे में 22 अनुकम्पात्मक नियुक्तियां प्रदान की गई।

8. दिनांक 31.12.2025 को अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	2639	2544	95
2.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	3912	2303	1609
3.	कनिष्ठ लेखाकार	6025	5173	852
	योग	**12576**	**10020**	**2556**

(iv) प्रशासन

प्रशासन अनुभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के लिये निदेशालय में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) प्रभारी अधिकारी हैं। प्रशासन अनुभाग द्वारा मुख्य रुप से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं:—

1. **संस्थापन शाखा** – विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति कार्य, वार्षिक वेतन वृद्वि स्वीकृति, एसीपी/चयनित वेतनमान स्वीकृति, अनुकम्पात्मक नियुक्ति, सेवानिवृति पर पेंशन स्वीकृत करवाने संबंधी कार्य तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ से संबंधित प्रशासनिक कार्य संपादित किये जाते हैं।
2. **भुगतान शाखा** – विभाग में कार्यरत स्टाफ के मासिक संवेतन, समर्पित अवकाश भुगतान, सेवानिवृति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में भुगतान, कार्यालय संचालन हेतु विद्युत, पानी, वाहन किराया, कम्प्यूटर किराया राशि का भुगतान, भवन की सुरक्षा में लगे गार्डस् को मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।
3. **स्टोर/भण्डार शाखा** – विभाग में दैनिक कार्य में उपयोग यथा फर्नीचर स्टेशनरी कम्प्यूटर संबंधी सामान का क्रय एवं रख रखाव व पुराने तथा अप्रचलित सामान की नीलामी करने संबंधी कार्य, भवन के रख रखाव व भवन की सुरक्षा से संबंधित कार्य किये जाते हैं।
4. **रिकॉर्ड शाखा** – विभाग की पुरानी पत्रावलियों का संधारण किया जाता है।
5. **पत्र प्राप्ति व प्रेषण शाखा** – इस प्रकोष्ठ के अन्तर्गत विभाग में रोजाना प्राप्त होने वाले पत्रों की प्राप्ति एवं प्रेषित किये जाने वाले पत्रों का प्रेषण संबंधित अनुभाग में किया जाता है। कार्य में सुविधा की दृष्टि से एक कार्मिक प्रेषित किये जाने वाले पत्रों से संबंधित कार्य यथा डाक रजिस्टर संधारण, काम में लिए पोस्टेज स्टैम्प्स का रजिस्टर व प्रेषित किये जाने वाले पत्रों को भेजने संबंधी कार्य करता है तथा दो कार्मिक विभाग में आने वाले पत्रों को प्राप्त करना, प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित शाखा की डाक पंजिका में दर्ज कर संबंधित शाखा में भिजवाने का कार्य संपादित करते हैं।
6. **सूचना प्रौद्योगिकी शाखा** – निदेशालय के अन्तर्गत सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी कार्यो के निष्पादन के लिए एक सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), एक प्रोग्रामर, दो सहायक प्रोग्रामर एवं एक कनिष्ठ सहायक कार्यरत है। अनुभाग द्वारा निदेशालय के सभी अनुभागों एवं कोषालयों व उपकोषालयों द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यो में आई.टी. संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) निदेशालय की वेबसाईट के नोडल अधिकारी हैं।

(v) जांच एवं विधि अनुभाग

जांच अनुभाग – जांच अनुभाग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए निदेशालय में सहायक निदेशक, जांच शाखा के प्रभारी अधिकारी हैं। इस अनुभाग द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा संवर्ग एवं निदेशालय के मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के कार्मिकों के जांच संबंधी प्रकरणों का नि पादन किया जाता है। आलोच्य वर्ष में सीसीए–16 में 33 एवं 17 में 39 आरोप पत्र जारी किये गये हैं।

- आलोच्य वर्ष में दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कुल 16 प्रकरण निर्णित किये गये हैं, जिनमें 01 प्रकरण में दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने एवं 03 प्रकरण में एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने एवं 02 प्रकरण में परिनिन्दा के दण्ड मे दण्डित किया गया है। एक प्रकरण में लिखित चेतावनी एवं 02 प्रकरणों में मौखिक चेतावनी दी गई। 04 प्रकरणों में हिदायत देते हुए प्रकरण समाप्त किये गये एवं 03 प्रकरणों में कार्मिकों को आरोपों से मुक्त किया गया।
- राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत 26 प्रकरण निर्णित किये गये हैं, जिनमें से 01 प्रकरण में तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने एवं 01 प्रकरण में एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने से दण्डित किया गया। 04 प्रकरणों में परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। 05 प्रकरणों में लिखित चेतावनी एवं 01 प्रकरण में मौखिक चेतावनी दी गई। 09 प्रकरणों को हिदायत देते हुए समाप्त किया गया एवं 04 प्रकरणों में कार्मिकों को आरोपो से मुक्त किया गया। एक प्रकरण में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के कारण कार्यवाही ड्रॉप (Drop) की गई।
- राजस्थान अधीनस्थ लेखा के एक प्रकरण में दण्डादेश के विरूद्ध अपील के निर्णय में वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा दण्ड को यथावत रखा गया। मंत्रालयिक कार्मिकों के दो प्रकरणों में अपील के निर्णय में वित्त (बजट) विभाग द्वारा दण्ड को यथावत रखा गया।
- इस तरह आलोच्य वर्ष में राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 व 17 के कुल 42 विभागीय जांच प्रकरण निर्णित किये गये हैं।

विधि अनुभाग – विधि अनुभाग द्वारा कोष एवं लेखा से संबंधित न्यायिक प्रकरणों का संधारण एवं निष्पादन हेतु पर्यवेक्षणीय कार्य किया जाता है। विधि अनुभाग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यो के लिए अनुभाग में उपविधि परामर्शी, एक वरिष्ठ विधि अधिकारी, दो सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, एक सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एक वरिष्ठ सहायक एवं दो कनिष्ठ सहायक पदस्थापित हैं।

आलोच्य वर्ष 2025 में दिनांक 31.12.2025 तक राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में कुल 119 रिट याचिकाऐं/स्पेशल अपील विभाग के विरूद्व व विभाग के द्वारा एवं राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में कुल 33 प्रकरण तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 04 प्रकरण दायर हुए हैं। इसी प्रकार वर्ष, 2025 में दिनांक 31.12.2025 तक माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में कुल 31 प्रकरण, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में 04 प्रकरण निर्णित हुए हैं, जिनमें से कुल 30 प्रकरण विभाग के पक्ष में निर्णित हुए है।

(vi) अल्प बचत

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.5(7)वित्त/राजस्व/02/पार्ट दिनांक 28.01.2010 के द्वारा दिनांक 01.04.2010 से अल्पबचत एवं राज्य लॉटरी विभाग को निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर में समाहित कर दिया गया है। समाहित विभाग से संबंधित शेष रहे कार्य का निष्पादन अब निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा तथा जिला स्तर पर कलेक्टर के निर्देशन में कोषाधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। निदेशालय कोष एवं लेखा के स्तर पर अल्प बचत संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु उपनिदेशक (अल्पबचत), एक सहायक लेखाधिकारी व एक मुख्य विधि सहायक (वरिष्ठ विधि अधिकारी) के साथ–साथ मंत्रालयिक संवर्ग, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। जिला स्तर पर अल्पबचत संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर स्थित कोषालयों के लिए एक–एक पद वरिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–I) के (कुल 7), तथा प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर स्थित कोषालयों के लिए एक–एक पद कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) के (कुल 33) एवं एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कोषालय बांसवाड़ा) सृजित है।

चिटफण्ड – अल्पबचत के कार्यो के निष्पादन के अतिरिक्त चिटफण्ड संबंधी कार्य भी निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है। चिटफण्ड अधिनियम, 1982 एवं चिटफण्ड नियम (राज.), 1989 के अन्तर्गत चिटफण्ड संबंधी कार्य कर रही कंपनियों के पंजीकरण, नियमन इत्यादि का कार्य संपादित किया जाता है। इसके लिए अब वित्त (राजस्व डिवीजन) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(1)एफ.डी. /रेवेन्यू/09 पार्ट दिनांक 18.01.2011 के द्वारा निदेशक, कोष एवं लेखा राज0, जयपुर को पंजीयक चिट एवं उप निदेशक (अल्पबचत), कोष एवं लेखा को उप पंजीयक चिट के रूप में नियुक्त किया गया है।

6. आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि

राज्य सरकार के विगत तीन वर्षो में वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत किए गए नवाचार

1. आईएफएमएस 3.0 के तहत नई टेक्नालॉजी के साथ सभी एप्लीकेशन विकसित की जा रही हैं तथा बीएफसी मॉड्यूल विकसित कर दिनांक 02.10.2022 से लागू कर दिया गया।
2. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.02.2023 के द्वारा ई–मित्र के माध्यम से भी राजस्व जमा करवाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
3. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.03.2023 के द्वारा P2F (Paper to Follow) प्रक्रिया चैक के माध्यम से होने वाले भुगतानों के लिये प्रारम्भ की गई।
4. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2023 के द्वारा सेवानिवृत होने वाले राज्य कार्मिकों को सेवानिवृति दिवस को ही पेंशन परिलाभ के भुगतान हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये।
5. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.01.2024 के द्वारा राज्य के कार्मिकों के वेतन बिल IFMS 3.0 पर बनाये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई।
6. वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.06.2024 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की NEFT/RTGS से राजस्व/कर जमा करवाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है।
7. कार्मिको/पेंशनर्स हेतु एडवांस वेतन पेंशन की सुविधा क्रमशः 01.06.2023, 01.10.2024 से प्रारम्भ की गई।
8. NPCI, RBI को संबद्ध कर आधार–आधारित भुगतान व्यवस्था।
9. कार्मिकों व पेंशनर्स हेतु मोबाईल एप।
10. AI Chat Boat की सुविधा।
11. राज्य सरकार के वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बजट, संव्यवहार व लेखांकन प्रक्रियाओं को IFMS 3.0 में नवीन तकनीक पर पारदर्शिता, सुगमता व नियन्त्रणों के साथ उपलब्ध करवाने हेतु Single Sign पर Work flow आधारित प्रणाली प्रारम्भ की गयी।
12. IFMS 3.0 प्रणाली में बजट, कोष प्रणाली, निर्माण विभागों के भुगतानों, स्वीकृतियों का पर्यवेक्षण, ई–भुगतान, लेखांकन, संवेतन, पेंशन भुगतानों, कार्मिकों, पेंशनर्स के मास्टर डेटा संवेदक/केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के भुगतानों से सम्बद्ध प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है व कार्मिकों व पेंशनर्स को भुगतानों की सूचना मोबाईल एप से सुगमता से दी जा रही है।
13. भारत सरकार के दिशा–निर्देशों की पालना में राजस्थान में IFMS 3.0 पर देश में सर्वप्रथम केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के संचालन हेतु SNA-SPARSH नवीन प्रणाली को संयोजित किया गया तथा आधार–आधारित भुगतान पद्धति को भी लागू किया है।
14. निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति, बी.एस.आर., कार्यादेश इत्यादि प्रक्रियाएँ भी संयोजित की गयी है।

7. सार–संक्षेप

विभाग के प्रमुख कार्यः– राज्य के सभी कोषालयों/उपकोषालयों के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण एवं लेखांकन का कार्य, बजट एवं कोष कार्यालयों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली का संचालन, वित्त विभाग को मार्गोपाय स्थिति की नवीनतम जानकारी देने के लिए कोषालयों से प्राप्त विभिन्न विभागों के आय एवं व्यय के मासिक आंकड़े संकलित कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम/द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग का संस्थापन एवं नियंत्रण के कार्य संपादित किये जा रहे हैं।

IFMS 3.0 के तहत राज्य कार्मिको को दिनांक 01.06.2023 से Earned Salary Advance Drawal की सुविधा व राज्य कार्मिकों को सेवानिवृति के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभ उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रारम्भ की गई तथा कार्मिकों से संबंधित प्रक्रियाएं एवं वेतन व अन्य बिल कोष प्रणाली, ई–भुगतान, लेखा प्रेषण, ई–साईन, जनाधार, पेन, एसआईपीएफ, इंटीग्रेशन, पेंशन भुगतान, जीएसटी–टीडीएस, रिजेक्टेड संव्यवहार के भुगतान की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के भुगतान SNA-SPARSH प्रणाली से किये जाने की सुविधा विकसित की गई है एवं भुगतान हेतु नवीन कोषालय State Cyber Treasury for Scheme का भी गठन किया गया है। इसे आधार–आधारित भुगतानों से भी संबद्ध कर दिया गया हैं।

राज्य सरकार के वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बजट, संव्यवहार व लेखांकन प्रक्रियाओं को आई.एफ.एम.एस. 3.0 में नवीन तकनीक पर पारदर्शिता, सुगमता व नियन्त्रणों के साथ उपलब्ध करवाने हेतु Single Sign पर Work flow आधारित प्रणाली प्रारम्भ की गयी। उक्त प्रणाली में बजट, कोष प्रणाली, निर्माण विभागों के भुगतानों, स्वीकृतियों का पर्यवेक्षण, ई–भुगतान, लेखांकन, संवेतन, पेंशन भुगतानों, कार्मिकों, पेंशनर्स के मास्टर डेटा संवेदक/केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के भुगतानों से सम्बद्ध प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है व कार्मिकों व पेंशनर्स को भुगतानों की सूचना मोबाईल एप से सुगमता से दी जा रही है।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों की पालना में राजस्थान में IFMS 3.0 पर देश में सर्वप्रथम केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के संचालन हेतु SNA-SPARSH नवीन प्रणाली को संयोजित किया गया तथा आधार–आधारित भुगतान पद्धति को भी लागू किया है एवं निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशासनिक, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति, बी.एस.आर., कार्यादेश इत्यादि प्रक्रियाएँ भी संयोजित की गयी हैं।

8. वित्त विभाग से संबंधित दूरभाष नम्बर

क्र. सं.	नाम	पद	दूरभाष नम्बर	
			कार्यालय	निवास
1	माननीया दीया कुमारी	उप मुख्यमंत्री (वित्त)	2227533	2222121 2222199
2	श्री वैभव गालरिया	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	2227664	2227741
3	श्री कुमार पाल गौतम	शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग	2227711	2227240
4	श्री राजन विशाल	शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	2227934	
5	डॉ0 टीना सोनी	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	2227625	
6	श्री बृजेश किशोर शर्मा	निदेशक, वित्त (बजट) विभाग	2227799	
7	श्री श्रीकृष्ण शर्मा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	2227791	
8	श्रीमती भारती दीक्षित	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–I) विभाग	2227775	
9	श्रीमती अमिता शर्मा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– II) विभाग	2227636	
10	श्री एजाज नबी खॉं	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– III) विभाग	2227474	
11	श्री देवेन्द्र अरोड़ा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– IV) विभाग	2227119	
12	श्री ललित कुमार मोरोडिया	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– V) विभाग	2227904	
13	श्री महेन्द्र मोहन	संयुक्त शासन सचिव, वित्तीय नियम	2227921	
14	श्री हरीश कुमार लालवानी	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम–I) विभाग	2227557	2337668
15	श्री सईद जैनुद्दीन शाहिद	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम–II) विभाग	2227868	2300442
16	श्री नथमल डिडेल	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग	2227162	2710420
17	श्री वरूण मिश्रा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग	2227239	
18	श्री पवन जैमन	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग	2385753	
19	श्री धीरज सीसोदिया	संयुक्त शासन सचिव, वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात विभाग	2227556	
20	श्री भवानी सिंह मीणा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ऑडिट) विभाग	2227450	
21	श्री हरीश लड्ढा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग	2227468	
22	श्री सईद जैनुद्दीन शाहिद	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग	2227868	2924440
23	श्री धनलाल शेरावत	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग	2385649	
24	श्री कमल किशोर खुराणा	तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग	2227094	2592426
25	श्री विवेक चौहान	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग	2227101	
26	श्री रमजान अली	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (कर अनुसंधान प्रकोष्ठ) विभाग	-	
27	श्री भूपेश कुमार यादव	मुख्य लेखाधिकारी, वित्त (राजस्व) विभाग	2227664	

अन्य संबंधित विभाग

1	श्री कुमार पाल गौतम (अति0 प्रभार)	आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग	2227552	
2	श्री नकते शिवप्रसाद मदन	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर	2524911	
3	श्री शरद मेहरा	महानिरीक्षक, पंजीयन मुद्रांक विभाग, अजमेर	2971201	
4	श्रीमती हेमपुष्पा शर्मा	निदेशक, बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	2200786	
5	श्री कुलदीप कुमार सिंह (अति0प्रभार)	महानिदेशक, एस.डी.आर.आई.	2744781	
6	श्रीमती संध्या शर्मा	निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग	2740239	
7	श्री महेन्द्र सिंह भूकर	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	2740678	
8	श्री कीर्ति जैन	निदेशक, निरीक्षण विभाग	2740324	
9	श्री मनीष माथुर	निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	2740179	

नोटः– दिनांक 31.12.2025 के अनुरूप दर्शाये गये हैं।

9. निदेशालय कोष एवं लेखा से संबंधित दूरभाष नम्बर

क्रसं.	अधिकारी का नाम	पद	दूरभाष नम्बर	
			कार्यालय	निवास
1.	श्रीमती संध्या शर्मा	निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर	2740239 2742309 FAX	
2.	श्री लखपत मीना	अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)	2740837	
3.	डॉ. मनीष शुक्ला	परियोजना निदेशक, आई.एफ.एम.एस.सह अतिरिक्त निदेशक कोष एवं बजट	2743752	
4.	श्रीमती रेखा मीना	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	2744861	
5.	श्रीमती सीमा कौशल	संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)	2740735	
6.	श्री रामकेश मीणा	संयुक्त निदेशक (कोष/आरटीआई)	2740254	
7.	श्री मयंक शुक्ला	कोषाधिकारी (ई–कोषालय)	2744294	
8.	श्री राजीव भट्नागर	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	2744488	
9.	श्री शोभित कुमार बंसल	उप निदेशक (आई.एफ.एम.एस./कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी)		
10.	श्रीमती रेणु बख्शी	उप विधि परामर्शी (विधि)		
11.	श्रीमती भारती शेखावत	उप निदेशक (कार्मिक–II)		
12.	श्री सौरभ पाराशर	वरिष्ठ लेखाधिकारी (आई.एफ.एम.एस.)		
13.	रिक्त	संस्थापन अधिकारी (प्रशासन)		
14.	श्रीमती प्रतिमा गोयल	सहायक निदेशक (कार्मिक–I)		
15.	सुश्री संतोष चेंची	सहायक निदेशक (आई.एफ.एम.एस.)		
16.	श्री हिंगलाज दान	सहायक निदेशक (जॉच/अल्प बचत/एपीएआर)		
17.	श्रीमती कृतिका यादव	सहायक निदेशक (कार्मिक–III)		
18.	श्री बजरंग सिंह	वरिष्ठ निजी सचिव	2740239	
19.	श्री देवेन्द्र तनेजा	निजी सचिव		
20.	श्री सुरेश वर्मा	लेखाधिकारी		
21.	श्री राजीव कुमार जैन	लेखाधिकारी		
22.	श्री प्रकाश यादव	डेस्क ऑफिसर (भुगतान)		
23.	श्री दिनेश चन्द गुप्ता	डेस्क ऑफिसर (कोष)		
24.	श्री कैलाश चन्द गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
25.	श्री अरूण हल्दिया	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
26.	श्री अजय दत्त माथुर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
27.	श्री टीकम चन्द शर्मा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
28.	श्री रमाकांत सरोलिया	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
29.	श्री सर्वजीत सिंह	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
30.	श्री अजय सांखला	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
31.	श्री हरिश कुमार यादव	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
32.	श्री देवेन्द्र तिवाडी	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
33.	श्री संजय सिंहवाल	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
34.	श्री मधुसूदन शर्मा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
35.	श्री चन्द्रोदय श्रीमाली	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
36.	श्री सुरेश सोमानी	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
37.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
38.	श्री मनोज कुमार गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
39.	श्री विजय कुमार जैन	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
40.	श्री जलेन्द्र कुमार	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
41.	श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
42.	श्री कैलाश चन्द भारद्वाज	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
43.	श्री सुभाष चन्द कौशिक	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
44.	श्री पंकज अग्रवाल	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
45.	श्री अनुज माथुर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
46.	श्री सुभाष गहनेला	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
47.	श्री आलोक कुमार	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
48.	श्री पवन कुमार मीणा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
49.	श्री कपिल कुमार सिंघल	प्रशासनिक अधिकारी		

10. राज्य के कोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर

क्र. सं.	कोषालय	नाम कोषाधिकारी	S.T.D. कोड	दूरभाष		
				कार्यालय	निवास	कम्प्यूटर कक्ष
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री				
I. <u>अजमेर संभाग</u>						
1	अजमेर	भागीरथ सिंह लखावत	0145	2627938	-	2632561
2	ब्यावर	खुशाल चन्द साहू	01462	257287	252350	256631
3	डीडवाना–कुचामन	भंवर लाल	01580	221622		
4	नागौर	रामानुज मालानी	01582	244863	245654	240870
5	टोंक	हरीश कुमार लालावत	01432	246957	244033	247319
6	भीलवाड़ा	डॉ. टीना रोलानिया	01482	232616	232617	231936
II. <u>भरतपुर संभाग</u>						
7	भरतपुर	लोकेन्द्र सिंह	05644	223575	-	228189
8	डीग	डॉ. देवेन्द्र धवन	05641	230395	-	-
9	धौलपुर	सतीश बैंसला	05642	220994	-	220894
10	करौली	अवधेश कुमार शर्मा	07464	250543	-	250134
11	सवाईमाधोपुर	कुलदीप सिंह मीना	07462	220271	220711	223871
III. <u>बीकानेर संभाग</u>						
12	बीकानेर	धीरज जोशी	0151	2226008	2226009	2530308
13	हनुमानगढ़	कृष्ण कुमार शर्मा	01552	260727	224045	265927
14	श्रीगंगानगर	मनोज कुमार मोदी	0154	2445082	2462721	2442865
15	चूरू	प्रवीण कुमार सिंघल	01562	250230	254242	250182
IV. <u>जयपुर संभाग</u>						
16	<u>अलवर</u>	मुकेश कुमार बैरवा	0144	2700016	-	2701592
17	दौसा	रामचरण मीना	01427	223305	-	224679
18	खैरथल–तिजारा	सुरेश कुमार बंसल	01460	298177		
19	कोटपूतली–बहरौड़	अशोक कुमार वर्मा	01421	248339		
20	जयपुर (शहर)	सौरभ पालीवाल	0141	2209051 2209050	-	2200415 5111422
21	जयपुर (ग्रामीण)	चित्रा जोशी	0141	2326130	**2790969**	2318898
22	जयपुर (सचिवालय)	पूनम चौधरी	0141	2227067	**2941253**	2227626
23	जयपुर (PPO पेंशन)	सुरभि सिंह	0141	2312829	2235705	2315908
24	झून्झूनु	सतीश कुमार	01592	232397	231200	237559
25	सीकर	विक्रम सिंह	01572	251084	257090	244185
26	ई–कोषालय, जयपुर	मयंक शुक्ला	0141	2744294		-
27	स्टेट साइबर कोषालय (स्कीम्स)	सौरभ पाराशर				

V. <u>जोधपुर संभाग</u>						
28	बाड़मेर	जसराज चौहान	02982	220404	226648	-
29	बालोतरा	करना राम	02988	294810		
30	फलौदी	प्रेम प्रकाश	02925	222749	-	-
31	जैसलमेर	देरावर सिंह राठौड़	02992	252462	254962	254852
32	जोधपुर (शहर)	अनिल रत्नू	0291	2650328	2650329	2650338
33	जोधपुर (ग्रामीण)	अन्तुश्री पूनियां	0291	2650336	2716783	2650339
34	जालोर	भूपेन्द्र मकवाना	02973	222473	226197	225380
35	पाली	राकेश कुमार	02932	222711	223430	250220
36	सिरोही	अलका सिंह	02972	221262	220276	223729
VI. <u>कोटा संभाग</u>						
37	बांरा	भैरूलाल	7453	2370013	-	237011
38	बूंदी	चित्रा सिंह	0747	2443989	2442550	2447253
39	झालावाड़	मिथलेश मीना	07432	230439	233624	233482
40	कोटा	श्रद्धा तिवाड़ी	0744	2323964	-	2325922 2320902
VII. <u>उदयपुर संभाग</u>						
41	चित्तौडगढ	दिग्विजय सिंह झाला	01472	241097	-	248850
42	राजसमंद	विशाल अग्रवाल	02952	225790	224625	220205
43	सलूम्बर	रविप्रकाश लाम्बा	02906	232382	-	-
44	उदयपुर (शहर)	पार्थ शर्मा	0294	2411987	2411470	2426190 2423703
45	बांसवाड़ा	हितेश गौड़	02962	246180	248743	241015
46	डूंगरपुर	नरसीराम विश्नोई	02964	232281	-	234020
47	प्रतापगढ़	जितेन्द्र कुमार मीना	01478	223099	220589	220188
48	उदयपुर (ग्रामीण)	सपना	0294	2410587	-	-
49	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	रेखा मीना	011	23383147		

राज्य के उप कोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर

क्र.स.	जिला	कोषालय	उपकोष			STD Code	दूरभाष नम्बर
			संख्या	स्थान			
1	2	3	4	5		6	7
I. अजमेर सम्भाग							
1	अजमेर	अजमेर				0145	2627938
			10	1. अजमेर (पेंशन)		0145	2627936
				2. अराई		01463	281213
				3. किशनगढ़		01463	247081
				4. नसीराबाद		01491	220523
				5. पीसांगन		0145	2775355
				6. पुष्कर		0145	2773291
				7. रूपनगढ़		01497	225881
				8. भिनाय		01466	273305
				9. सरवाड़			
				10. केकडी		01467	221825
2	ब्यावर	ब्यावर				01462	257287
			3	11. जैतारण		02939	223192
				12. मसुदा		01462	266471
				13. रायपुर		02937	220755
3	डीडवाना–कुचामन	डीडवाना				01580	221622
			5	14. कुचामनसिटी		01586	222107
				15. लाडनू		01581	226275
				16. मकराना		01588	245664
				17. नावां		01586	262046
				18. परबतसर		01589	270588
4	नागौर	नागौर				01582	244863
			7	19. डेगाना		01587	222684
				20. जायल		01583	272130
				21. खींवसर		01585	262086
				22. मेड़ता		01590	230453
				23. मुण्डवा		01584	283085
				24. नागौर (पेंशन)		01582	245807
				25. रियाबड़ी		01591	240037
5	टोंक	टोंक				01432	246957
			6	26. देवली		01434	232477
				27. मालपुरा		01437	225992
				28. निवाई		01438	222324
				29. पीपलू		01435	278175
				30. उनियारा (अलीगढ़)		01436	266135
				31. टोडारायसिंह		01433	232219

6	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा				01482	232616
			11	**32.** आसीन्द		01480	220777
				33. बिजौलिया		01489	236208
				34. हुरड़ा		01483	221430
				35. माण्डल		01486	266476
				36. माण्डलगढ़		01489	230364
				37. रायपुर		01481	230231
				38. सहाड़ा(मु0गंगापुर)		01481	221231
				39. बनेड़ा		01487	272616
				40. जहाजपुर		01485	230104
				41. कोटड़ी		01488	235022
				42. शाहपुरा		01484	222264
II. भरतपुर सम्भाग							
1	भरतपुर	भरतपुर				05644	223575
			6	**43.** बयाना		05648	220756
				44. भरतपुर (पेंशन)		05644	223575
				45. भुसावर		05643	270027
				46. नदबई		05643	223914
				47. रूपवास		05645	243206
				48. वैर		05643	272220
2	डीग	डीग				05641	230395
			4	**49.** कांमा		05640	220018
				50. कुम्हेर		05644	240927
				51. नगर		05641	242053
				52. पहाड़ी		05640	242030
3	धौलपुर	धौलपुर				05642	220894
			4	**53.** बाड़ी		05647	273313
				54. बसेड़ी		05646	266107
				55. राजाखेड़ा		05642	233034
				56. सेपऊ		05642	266023
4	करौली	करौली				07464	250134
			6	**57.** हिण्डौन		07469	231343
				58. मासलपुर		-	-
				59. मण्डरायल		07464	226274
				60. सपोटरा		07465	252810
				61. नादौती		07463	244006
				62. टोडाभीम		07461	230042
5	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर					
			6	**63.** बौंली		07466	247025
				64. चौथ का बरवाड़ा		07462	257078
				65. खण्डार		07468	241301
				66. मलारनाडूंगर		07466	272045
				67. गंगापुर सिटी		07463	234083
				68. बामनवास		07467	222049

III. बीकानेर सम्भाग							
1	बीकानेर	बीकानेर				0151	2226008, 2530308
			8	**69.** बीकानेर (पेंशन)		0151	2201079
				70. कोलायत		01534	236428
				71. लूणकरणसर		01528	271005
				72. नोखा		01531	223304
				73. पूंगल		01523	265445
				74. श्रीडूंगरगढ़		01565	222939
				75. छतरगढ़		01520	242236
				76. खाजूवाला		01520	232756
2	हनुमानगढ	हनुमानगढ				01552	260727, 265927
			6	**77.** भादरा		01504	223990
				78. नोहर		01555	221468
				79. पीलीबंगा		01508	233323
				80. रावतसर		01537	251258
				81. संगरिया		01499	253201
				82. टिब्बी		01539	234031
3	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर				0154	2445082
			8	**83.** पदमपुर		01505	233322
				84. सार्दुलशहर		01503	224032
				85. श्रीकरणपुर		01501	228317
				86. सूरतगढ़		01509	223450
				87. अनूपगढ		01498	254040
				88. रायसिंहनगर		01507	220110
				89. श्रीविजयनगर		01498	230999
				90. घड़साना		01506	250750
4	चूरू	चूरू				01562	250230
			6	**91.** बीदासर		1560	262501
				92. रतनगढ़		01567	222013
				93. सादुलपुर (मु.राजगढ़)		01559	223240
				94. सरदारशहर		01564	223818
				95. सुजानगढ़		01568	222294
				96. तारानगर		01561	241504
IV. जयपुर सम्भाग							
1	अलवर	अलवर				0144	2700016
			7	**97.** अलवर (पेंशन)		0144	2339221
				98. कठूमर		01492	260870
				99. लक्ष्मणगढ़		01492	231060
				100. राजगढ़		01464	221448
				101. रामगढ़		01468	232083
				102. रेणी		01464	252002
				103. थानागाजी		01465	224419

2	दौसा	दौसा				01427	223305
			4	**104.** बसवा		01420	231265
				105. लालसोट		01431	222813
				106. महुआ		07461	284451
				107. सिकराय		01420	275029
3	खैरथल–तिजारा	खैरथल					
			4	**108.** किशनगढ़बास		01460	242859
				109. कोटकासिम		01460	235762
				110. मुण्डावर		01495	260709
				111. तिजारा		01469	262460
4	कोटपूतली–बहरोड	कोटपूतली				01421	224339
			4	**112.** बहरोड		01494	230538
				113. बानसूर		01461	232001
				114. नीमराणा		01494	246079
				115. विराटनगर		01422	234097
5	जयपुर (शहर)	जयपुर (शहर)				0141	2209050
			1	**116.** विधानसभा		0141	2744337
6	जयपुर (ग्रामीण)		12	**117.** आमेर		0141	2530883
				118. बस्सी		01472	223511, 223898
				119. चाकसू		01429	243332
				120. चौमू		01423	220896
				121. जमवारामगढ़		01426	287530
				122. किशनगढ़– रेनवाल		-	-
				123. सांभरलेक		01425	224664
				124. सांगानेर		0141	2730391
				125. शाहपुरा		01422	225461
				126. दूदू		01428	277525
				127. फागी		01430	282059
				128. मौजमाबाद		01428	252604
7	जयपुर	कोषालय,सचिवालय				0141	2227067
8	जयपुर	जयपुर, पेंशन				0141	2315908
			1	**129.** उपकोष पेंशन		-	-
9	झुन्झुनू	झुन्झुनू				01592	232397
			8	**130.** बुहाना		01593	288302
				131. चिड़ावा		01596	220007
				132. झून्झुनू (पेंशन)		01592	230033
				133. मलसीसर		01595	246490
				134. नवलगढ़		01594	224710
				135. सूरजगढ़		01596	237236
				136. खेतड़ी		01593	234093
				137. उदयपुरवाटी		01594	234727

10	सीकर	सीकर				01572	251084
			7	**138.** दांतारामगढ़		01577	-
				139. फतेहपुर		01571	231057
				140. खण्डेला		01575	260057
				141. लक्ष्मणगढ़		01573	224448
				142. सीकर(पेंशन)		01572	244186
				143. नीम का थाना		01574	232418
				144. श्रीमाधोपुर		01575	251055
V. जोधपुर सम्भाग							
1	बाड़मेर	बाड़मेर				02982	220404
			6	**145.** चौहटन		02989	286130
				146. धोरीमन्ना		-	-
				147. गुड़ामलानी		02983	253095
				148. रामसर		02985	220078
				149. शिव		02987	253095
				150. सेड़वा		-	-
2	बालोतरा	बालोतरा					
			4	**151.** बायतु		02982	241121
				152. पचपदरा		02988	281698
				153. सिणधरी		-	-
				154. सिवाना		02901	230613
3	फलौदी	फलौदी				02925	222749
			1	**155.** बाप		02921	277000
4	जैसलमेर	जैसलमेर				02992	252462
			2	**156.** फतेहगढ़		02993	275446
				157. पोकरण		02994	222783
5	जोधपुर	जोधपुर (शहर)				0291	2650328
6	जोधपुर (ग्रामीण)					0291	2650336
			8	**158.** बालेसर		02929	242002
				159. बावडी		02927	265022
				160. भोपालगढ		02920	240809
				161. बिलाडा		02930	221470
				162. लूणी		02931	284370
				163. औसिया		02922	274544
				164. पीपाडसिटी		-	-
				165. शेरगढ		02929	243517
7	जालौर	जालौर				02973	222473
			8	**166.** आहोर		02978	282020
				167. भीनमाल		02969	222519
				168. जसवंतपुरा		-	-
				169. सायला		02977	272022
				170. सांचौर		02979	284265
				171. बागौडा		02969	264294
				172. चितलवाना		-	-

				173. रानीवाड़ा		02990	231141
8	पाली	पाली				02932	222711
			7	**174.** बाली		02938	223058
				175. देसूरी		02934	254173
				176. खारची(मारवाड़ जंक्शन)		02935	252360
				177. रानी		02934	220056
				178. रोहट		02936	268181
				179. सोजत		02960	220392
				180. सुमेरपुर		02933	253939
9	सिरोही	सिरोही				02972	221262
			4	**181.** आबूरोड़		02974	222647
				182. पिण्डवाड़ा		02971	281146
				183. रेवदर		02975	283035
				184. शिवगंज		02976	272360
VI. कोटा सम्भाग							
1	बांरा	बांरा				07453	237013, 237014
			7	**185.** अन्ता		07457	244001
				186. अटरू		07451	240214
				187. छबड़ा		07452	222710
				188. छीपाबड़ौद		07454	286074
				189. किशनगंज		07456	253321
				190. मांगरोल		07457	223262
				191. शाहबाद		07460	262435
2	बून्दी	बून्दी				0747	2443989
			5	**192.** हिण्डोली		07436	276248
				193. इन्द्रगढ़		07458	253850
				194. केशोरायपाटन		07438	264705
				195. नैनवां		07437	257768
				196. तालेड़ा		0747	2438004
3	झालावाड़	झालावाड़				07432	230439
			7	**197.** अकलेरा		07431	272863
				198. गंगधार		07435	284429
				199. झालरापाटन		07432	240868
				200. खानपुर		07430	261603
				201. पचपहाड		07433	222882
				202. पिड़ावा		07434	258041
				203. मनोहरथाना		07431	274717
4	कोटा	कोटा				0744	2323964
			5	**204.** दीगोद		07455	234617, 234600
				205. कोटा (पेंशन)		0744	2331280
				206. पीपलदा		07458	275333

				207. रामगंजमण्डी		07459	221547
				208. सांगोद		07450	233233
VII. उदयपुर सम्भाग							
1	चित्तौड़गढ़	चित्तौडगढ़				01472	241097
			10	**209.** बड़ीसादड़ी		01473	264537
				210. बेगॅू		01474	220806
				211. भदेसर		01470	243222
				212. भूपालसागर		-	-
				213. डूंगला		01470	247205
				214. गंगरार		01471	220023
				215. कपासन		01476	231144
				216. निम्बाहेड़ा		01477	222361
				217. राशमी		01471	226407
				218. रावतभाटा		01475	234525
2	राजसमन्द	राजसमन्द				02952	220205, 225790
			6	**219.** आमेट		02908	251104
				220. भीम		02951	250345
				221. देवगढ़		02904	252835
				222. कुम्भलगढ़		02954	242140
				223. नाथद्वारा		02953	231745
				224. रेलमगरा		02952	267850
3	सलूम्बर	सलूम्बर				02906	232382
			2	**225.** लसाड़िया		02956	282028
				226. सराड़ा		02905	260353
4	उदयपुर	उदयपुर (शहर)				0294	2411987
5	उदयपुर	उदयपुर (ग्रामीण)				0294	2410587
			7	**227.** गोगुन्दा		02956	282022
				228. झाडोल (फलासिया)		02959	220293
				229. खैरवाड़ा		02907	260903
				230. कोटड़ा		02958	227407
				231. मावली		02955	263842
				232. ऋषभदेव		02907	230019
				233. वल्लभनगर		02957	240202
6	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा				02962	241015
			6	**234.** आनन्दपुरी		-	-
				235. बागीदौरा		02968	280577
				236. गढ़ी (परतापुर)		02963	222608
				237. घाटोल		02961	235773
				238. कुशलगढ़		02965	275812
				239. सज्जनगढ़		-	-

7	डूंगरपुर	डूंगरपुर				02964	234020
			4	**240.** आसपुर		02967	271042
				241. बिच्छीवाड़ा		-	-
				242. सागवाड़ा		02966	254230
				243. सीमलवाड़ा		02964	240171
8	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़				01478	223099
			4	**244.** अरनोद		01479	242550
				245. छोटीसादड़ी		01473	262533
				246. धरियावद		02950	270546
				247. पीपलखूँट		02961	233334

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर